राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2668/2024

अनीता कुमारी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव (प्रथम) पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुंझुनू।
4. विकास अधिकारी पंचायत समिति, मण्डावा, जिला झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.08.2024
आदेश की दिनांक : 04.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री आर.के.निगम, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर ग्राम पंचायत बिरमी, पंचायत समिति मण्डावा, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 19.07.2024 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुये उपस्थिति कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, झुंझुनू को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी को उक्त आलोच्य आदेश के द्वारा स्थानान्तरण पर लगे पूर्ण रूप से प्रतिबंध के बावजूद आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। जबकि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (ग्रुप–1) विभाग द्वारा जारी आदेश जिसमें स्थानान्तरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, परंतु उक्त प्रतिबंध के बावजूद अपीलार्थी का स्थानान्तरण

किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.01.2023 एवं 04.01.2024 से स्थानान्तरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और यह अंकित किया गया है कि यदि प्रशासनिक आवश्यकता हो तो माननीय मुख्यमंत्री की अनुमति पश्चात् ही स्थानान्तरण किये जा सकते हैं और इस प्रकार प्रतिबंध अवधि के दौरान जारी किया गया उक्त आलोच्य आदेश राज्य सरकार के निर्देशों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 24.08.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में नियमानुसार किया गया है, जो सक्षम स्तर पर अनुमोदित है। राज्य सरकार प्रशासन को चुस्त–दुरूस्त करने के लिये राज्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण प्रशासनिक एवं जनहित कारणों से समय–समय पर कर सकती है, जैसा कि राजस्थान सेवा नियम के नियम 20 में प्रावधान है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी ऐसे स्थानान्तरणों पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं माना है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन कनिष्ठ सहायक के पद पर ग्राम पंचायत बिरमी, पंचायत समिति मण्डावा, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 19.07.2024 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुये उपस्थिति कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, झुंझुनू को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जहां तक अपीलार्थी को स्थानान्तरण आदि पर राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से लगे प्रतिबंध के बावजूद आलोच्य आदेश के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश दिनांक 24.08.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को वर्तमान में राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (ग्रुप–1) विभाग द्वारा स्थानान्तरणों एवं आदेशों की प्रतीक्षा आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, फिर भी अन्य माध्यम से इच्छित जगह रिक्त पद पर पदस्थापन आदेश जारी नहीं करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं और उक्त आदेश के

द्वारा स्थानान्तरण आदि पर प्रतिबंध के पूर्ण अक्षरक्षः पालना करते हेतु समस्त विभागों को पत्र जारी किया गया है। यदि किसी विशेष कारण से स्थानान्तरण/आदेशों की प्रतीक्षा में राज्य कर्मचारी को रखा जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री की अनुमति पश्चात् ही स्थानान्तरण किये जा सकते है, ऐसा निर्देश कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 15.01.2023 एवं 04.01.2024 में अंकित किया गया है। पत्रावली पर प्रस्तुत डाक संख्या 37(68)/2/12/22–06536 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के आदेशों की प्रतीक्षा में रखने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई है और इस प्रकार हमारे मत में राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त पत्रों के निर्देशों की पालना के विपरीत जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 24.08.2024 जारी किया गया है, जो अनुचित है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया आलोच्य आदेश दिनांक 24.08.2024 को अपास्त फरमाया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य